



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD UMAR, MD YAKUB S/O KASIM, MOHD

पता J.1/108 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010018-- Property Id. 1J010003002

Latitude 25.32508575570

Longitude 83.01258244340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/108 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,828.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARULLAH S/O AMIRULLAH SESH NAM KE SATH

पता J.1/107 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010017-- Property Id. 1J010003003

Latitude 25.32508575570

Longitude 83.01258244340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/107 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,787.0** व सामान्य कर **527.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,071.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,862.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,862.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	865.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANARULLA,NURUL AINUL HAQ, SAMSUL HAQ, SS/O AMIRULLA

पता J.1/106 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9026514040

MIS Id. 08010016-- Property Id. 1J010005001

Latitude 25.32514287770

Longitude 83.01271009380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/106 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3200,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,776.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,776.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,825.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKTAR HASAN, MOHD HASAN SS/O SHIVMATULLA

पता J.1/106-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8960822872

MIS Id. 08010015-- Property Id. 1J010006001

Latitude 25.32507228270

Longitude 83.01279195970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/106-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 600, C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,340.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,340.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,247.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम 3/8 SAMSUDDIN,NURUDDIN S/O HAJI SULEMAN,HAZI A.RAHMAN S/O

पता J.1/105 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010014-- Property Id. 1J010006002

Latitude 25.32507228270

Longitude 83.01279195970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/105 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,706.0** व सामान्य कर **738.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3000,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,855.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,855.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,844.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI HASAN,ALI BAKS,ALI ASGAR,ALI JAFAR

पता J.1/101 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010128-- Property Id. 1J010008001

Latitude 25.32487505180

Longitude 83.01283329510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/101 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **805.0** व सामान्य कर **89.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,243.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	192.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,452.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,452.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	160.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI HUSSIAN,ALI VAKS,ALI ASGAR,ALI JAFAR SS/O LAL MOHD

पता J.1/101-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010129-- Property Id. 1J010008002

Latitude 25.32487505180

Longitude 83.01283329510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/101-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,105.0 व सामान्य कर 452.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,243.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,895.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,895.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	758.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.FATIMA BIBI W/O HAFIJ NURMOHAMAD,JINNAT BIBI W/O ABDUL
पता J.1/104 Sheshman Bazar
नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag पुराना वार्ड W075 मोबाईल नं० 6306148472
MIS Id. 08010134-- Property Id. 1J010009001 Latitude 25.32504724240 Longitude 83.01291879730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/104 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,541.0** व सामान्य कर **610.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	680.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2040,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,632.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,338.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,338.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,357.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI HABIBULL,HAZI HAFIULLA,SAFIULLA S/O MATIURAHMAN S/O

पता J.1/105-H Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010133-- Property Id. 1J010009002

Latitude 25.32504724240

Longitude 83.01291879730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/105-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,414.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1792,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,434.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,192.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASMA BIBI W/O MD IDRISMD JALIL,ANISURHAMAN ABDUL SALAM,
पता J.1/103 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010132-- Property Id. 1J010010001

Latitude 25.32504557150

Longitude 83.01300752210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/103 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,858.0** व सामान्य कर **1,524.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,871.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3774,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,019.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,825.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,825.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANIS AHMAD S/O HAJI MOHAMMAD IDRISH

पता J.1/127-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010139-- Property Id. 1J010011001

Latitude 25.32501924850

Longitude 83.01314366380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,880.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1222,C= 658	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	978.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	49,674.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	49,674.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,464.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.IMRAN, MOHD.GUFRAN SS/O REHANUL HASAN

पता J.1/127-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010140-- Property Id. 1J010012001

Latitude 25.32498372560

Longitude 83.01312881050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,024.0

व सामान्य कर

113.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	390.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 234, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	187.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,769.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,769.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	195.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURRAHMAN,ALTA FURRAHMAN,SAFIURRAHMAN,MATIURRAHM

पता J.1/127-D-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010146-- Property Id. 1J010016001

Latitude 25.32464269160

Longitude 83.01322720860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 955.0 व सामान्य कर 105.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	940.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 264,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	211.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,597.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,597.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	176.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI HABIBULLA, HAFIJULLA, SAFIULLA, S/O

पता J.1/127-E Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010143-- Property Id. 1J010017001

Latitude 25.32474024180

Longitude 83.01308965920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,640.0 व सामान्य कर 290.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,361.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 960, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	639.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O MOHD AYUB,HAJI ABDUL QUDDUS,HAJI ABDUL

पता J.1/119 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010115-- Property Id. 1J010018001

Latitude 25.32473925050

Longitude 83.01296731870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/119 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,286.0 व सामान्य कर 361.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	30,392.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	30,392.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,343.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIJURHMAN S/O SAMIULLA

पता J.1/117-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7905480759

MIS Id. 08010118-- Property Id. 1J010020001

Latitude 25.32475569010

Longitude 83.01283292180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/117-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,462.0** व सामान्य कर **271.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	660.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1220,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	976.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,235.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,235.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,236.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIURHMAN S/O LATE MOHD HAVIV,JAMILUDDIN W/O RAMJAN

पता J.1/120 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010111-- Property Id. 1J010022001

Latitude 25.32465637010

Longitude 83.01295155900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/120 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANIS AHAMD,AKBAL AHAMAD S/O MOHD IDRIS

पता J.1/127-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010144-- Property Id. 1J010024001

Latitude 25.32465873950

Longitude 83.01310880410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,976.0** व सामान्य कर **1,647.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,016.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4032,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,226.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,386.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,386.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,682.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AARIF USAMANI,AAVID USAMANI,JIYAUL KAMAR,KEFUL

पता J.1/127-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010148-- Property Id. 1J010025001

Latitude 25.32457943200

Longitude 83.01311960540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.1/127-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,397.0 व सामान्य कर 1,694.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4000,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	55,037.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	55,037.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,256.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASMA BIBI W/O MOHD SOAB

पता J.1/120-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010114-- Property Id. 1J010026001

Latitude 25.32457824120

Longitude 83.01304754450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/120-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	862.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 672,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	538.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,572.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,572.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	503.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IDRIS, MOHD ILIYAS SS/O LATE HAYAT MOHD, SRIRUNNISA D/O

पता J.1/120-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010113-- Property Id. 1J010027001

Latitude 25.32457390930

Longitude 83.01291461190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/120-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,885.0 व सामान्य कर 317.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	340.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 450, C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु०) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O HAZI MOHD DIN

पता J.1/88-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010110-- Property Id. 1J010030001

Latitude 25.32466003880

Longitude 83.01281017620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/88-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,105.0 व सामान्य कर 452.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	873.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,895.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,895.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	758.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HARUN,MOINUDDIN SS/O LATE KHALILURRAHMAN

पता J.1/92-P Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8081248677

MIS Id. 08010125A Property Id. 1J010032001

Latitude 25.32483958400

Longitude 83.01269310510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/92-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,707.0** व सामान्य कर **1,838.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 2075,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,660.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,965.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,965.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,846.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JALIL AHMAD S/O MOHD.SULEMAN,HAJI NOOR HASAN,HAJI ABDUL

पता J.1/92 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010125-- Property Id. 1J010033001

Latitude 25.32479954600

Longitude 83.01251601300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/92 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,876.0 व सामान्य कर 1,196.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2600,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	41,429.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	41,429.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,557.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHMAN S/O MOHD JAHUR

पता J.1/95 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9026580679

MIS Id. 08010022-- Property Id. 1J010033002

Latitude 25.32479954600

Longitude 83.01251601300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/95 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,962.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,962.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,626.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IDAN BIBI W/O YUSUF KHAN

पता J.1/66 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010025-- Property Id. 1J010036001

Latitude 25.32457561620

Longitude 83.01248984000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/66 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,836.0 व सामान्य कर 312.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Industrial Unit,2_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 240,C= 560	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	192.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,043.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,043.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,535.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF,AYUB S/O VALI MOHD,MD BASIR,JAIKUNNISA ABDUL
पता J.1/93 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010024-- Property Id. 1J010037001

Latitude 25.32467649160

Longitude 83.01257145760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/93 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,525.0 व सामान्य कर 828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,080.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2680,C= 680	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,144.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	42,427.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	42,427.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,667.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDA BIBI JAUJEY ISLAM

पता J.1/69 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010029-- Property Id. 1J010038001

Latitude 25.32453419610

Longitude 83.01262873320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/69 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,370.0 व सामान्य कर 371.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	831.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 924,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	739.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,588.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,588.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	615.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNU

पता J.1/65 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010032-- Property Id. 1J010040001

Latitude 25.32440562050

Longitude 83.01243203320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/65 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,176.0 व सामान्य कर 239.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHAMTULLA,IMBRAHIM AMANTULLA,SIDDIK ULLA CHHOTAK S/O

पता J.1/63 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010044-- Property Id. 1J010041001

Latitude 25.32433577710

Longitude 83.01239413120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/63 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 22,586.0 व सामान्य कर 2,484.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 6400,C= 3200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,62,086.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,62,086.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	24,313.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI,AJIBULLA SS/O ABDUL JAVVAR

पता J.1/71-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010034-- Property Id. 1J010042001

Latitude 25.32432799170

Longitude 83.01253385250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/71-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,462.0** व सामान्य कर **271.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,003.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,246.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,246.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	467.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR HASAN S/O ABDUL RAHAMAN

पता J.1/64-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010042-- Property Id. 1J010042002

Latitude 25.32432799170

Longitude 83.01253385250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/64-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,079.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,003.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 836,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	669.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,056.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,056.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	556.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DINA NATH S/O RAMJI JAISWAL

पता J.1/61 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010045-- Property Id. 1J010047001

Latitude 25.32416474650

Longitude 83.01250525560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/61 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,359.0 व सामान्य कर 259.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,307.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 650,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,931.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,931.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	432.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMLA DEVI W/O RAJENDRA SINGH

पता J.1/59 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010054-- Property Id. 1J010049001

Latitude 25.32394436750

Longitude 83.01255523580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/59 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,153.0 व सामान्य कर 237.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,419.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 612,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	490.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	407.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANJU DEVI W/O DINA NATH

पता J.1/62 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010049-- Property Id. 1J010049002

Latitude 25.32394436750

Longitude 83.01255523580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/62 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,463.0** व सामान्य कर **381.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,419.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 864,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,225.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,225.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	575.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BHARAT LAL, CHATUR LAL, GOPAL JI SS/O LATE NANHKU LAL, VINOD

पता J.1/50 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010048-- Property Id. 1J010049003

Latitude 25.32394436750

Longitude 83.01255523580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/50 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,998.0 व सामान्य कर 550.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,419.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3774, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,019.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,825.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,825.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJI S/O KANHAIYA LAL, RAJ KUNVAR, BIRENDRA SS/O RAMJI
पता J.1/49 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010047-- Property Id. 1J010049004

Latitude 25.32394436750

Longitude 83.01255523580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/49 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,346.0 व सामान्य कर 698.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,419.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2970, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,376.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,963.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,963.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,976.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UMAKANT U/G SHANTI DEVI

पता J.1/60 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010050-- Property Id. 1J010050001

Latitude 25.32395821010

Longitude 83.01245265310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/60 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,856.0 व सामान्य कर 1,084.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,858.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2664,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,131.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,112.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,112.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,772.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHAND VISHWAKALYAN KENDRA SACHCHIDANAND ASHRAM

पता J.1/56 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010057-- Property Id. 1J010053001

Latitude 25.32379637910

Longitude 83.01227023210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,582.0 व सामान्य कर 834.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,893.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,928.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,928.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,422.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAGAR NATH S/O JAMUNA, SRI PRAHLAD PD., SHAMBHU NATH SS/O

पता K.54/24 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010060-- Property Id. 1J010057002

Latitude 25.32347602060

Longitude 83.01216287360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,999.0** व सामान्य कर **220.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,082.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,082.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	449.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMBHU NATH S/O LATE SHYAM

पता K.54/24-B-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010060D Property Id. 1J010057003

Latitude 25.32347602060

Longitude 83.01216287360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/24-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,153.0** व सामान्य कर **237.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	660.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 660,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	528.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,491.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,491.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	494.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRITI CHAURASIYA W/O BHOLU CHAURASIYA D/O SHITLA PRASAD

पता J.1/53-P-V Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010066A Property Id. 1J010062001

Latitude 25.32362499500

Longitude 83.01259663210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/53-P-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,518.0 व सामान्य कर 277.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	45,814.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	45,814.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJESH S/O LATE SHIV SHANKAR LAL

पता J.1/53 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9838640128

MIS Id. 08010066-- Property Id. 1J010063001

Latitude 25.32363502340

Longitude 83.01249558170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/53 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,850.0 व सामान्य कर 644.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,072.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,072.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	998.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HARISHCHANDRA SRIVASTAV, HARI KRISHNA, SARV JAGDISH

पता J.1/54+57 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010067-- Property Id. 1J010063002

Latitude 25.32363502340

Longitude 83.01249558170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/54+57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,926.0 व सामान्य कर 762.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,059.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1860, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,488.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,249.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,249.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,237.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UMESH CHANDRA SRIVASTAV S/O LATE SHIV SHANKAR

पता J.1/53-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010069-- Property Id. 1J010064001

Latitude 25.32369221210

Longitude 83.01254679890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/53-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,063.0 व सामान्य कर 1,217.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,144.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,144.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,996.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHYAM MOHAN S/O LATE BINDYAVASINI

पता J.1/57-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010056-- Property Id. 1J010065002

Latitude 25.32376978290

Longitude 83.01249528150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/57-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,668.0 व सामान्य कर 293.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	5,017.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	582.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,403.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,403.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	484.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KANHAIYA LAL,NANHKU JAGAR NATH SS/O BIR KOERI

पता J.1/47 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9415200727

MIS Id. 08010072-- Property Id. 1J010066001

Latitude 25.32393829360

Longitude 83.01269277300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/47 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,310.0 व सामान्य कर 474.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,497.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम INDRAWATI DEVI W/O SRI NANDLAL

पता J.1/47-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8318031660

MIS Id. 08010073-- Property Id. 1J010066002

Latitude 25.32393829360

Longitude 83.01269277300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/47-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,844.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,626.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD JAKARIYA, MOHD SOVEB S/O HAZI NUR MOHD .JUBAIDA BIBI

पता J.1/42-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010086-- Property Id. 1J010068001

Latitude 25.32385550990

Longitude 83.01289438300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/42-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,738.0 व सामान्य कर 301.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM NARAYAN, LAXMI NARAYAN S/O MANGRU

पता J.1/42 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9450332341

MIS Id. 08010080-- Property Id. 1J010070001

Latitude 25.32385046960

Longitude 83.01296609610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,079.0 व सामान्य कर 339.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DEVENDRA KUMAR SINGH S/O BHARAT SINGH,HIRAMANI SINGH W/O

पता J.1/43-K- Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010082-- Property Id. 1J010072001

Latitude 25.32385250640

Longitude 83.01311134850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.1/43-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAURI SHANKAR S/O RAM HAKRAH, BISHWA NATH, SAMARU S/O

पता J.1/45 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010085-- Property Id. 1J010074001

Latitude 25.32386651120

Longitude 83.01321082710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/45 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,621.0 व सामान्य कर 288.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 750, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	499.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AYSHA BIBI W/O ABDUL KUDDUS

पता J.1/45-1-A+J.1/45-A- Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010215-- Property Id. 1J010075001

Latitude 25.32384873820

Longitude 83.01338272850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/45-1-A+J.1/45-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,462.0 व सामान्य कर 271.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,123.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,113.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,113.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	452.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MUKIM S/O MOHD SALIM

पता J.1/23-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010214-- Property Id. 1J010076001

Latitude 25.32387889230

Longitude 83.01348854480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/23-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,193.0** व सामान्य कर **131.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,144.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,144.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,996.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PYRE LAL S/O DWARIKA PRASAD

पता J.1/46 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010078-- Property Id. 1J010076002

Latitude 25.32387889230

Longitude 83.01348854480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,493.0 व सामान्य कर 494.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SATYA NARAYAN S/O LATE KANHAIYA LAL SETH

पता J.1/23 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9759450075

MIS Id. 08010213-- Property Id. 1J010077001

Latitude 25.32386465620

Longitude 83.01356010170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,392.0 व सामान्य कर 263.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,125.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,048.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,048.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	665.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GOKARAN SHUKLA, GHANSHYAM SHUKLA S/O KANHAIYA SHUKLA

पता K.54/101 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010219A Property Id. 1J010081001

Latitude 25.32358894580

Longitude 83.01333770970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/101 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	702.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1404, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,123.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,553.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,553.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,051.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAFIURRAHMAN S/O HAZI BARKATULLA

पता K.54/102 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010218-- Property Id. 1J010081002

Latitude 25.32358894580

Longitude 83.01333770970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/102 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,806.0** व सामान्य कर **419.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,069.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2048,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,533.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BRIJESH KUMAR CHAURASIA, RAJESH CHAURASIA, RAMESH

पता K.54/104 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010226-- Property Id. 1J010086001

Latitude 25.32355274990

Longitude 83.01346556490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/104 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,602.0** व सामान्य कर **1,606.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3956, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,165.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,917.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,917.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,961.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MIRA DEVI W/O HARIBITTHAL DAS

पता K.54/105 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010226A Property Id. 1J010087002

Latitude 25.32351367940

Longitude 83.01361352170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/105 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,212.0** व सामान्य कर **1,563.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,596.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,596.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,156.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHANTI DEVI W/O RAJA SINGH

पता K.54/109 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010001-- Property Id. 1J010089002

Latitude 25.32356466520

Longitude 83.01377337240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/109 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,444.0** व सामान्य कर **1,039.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,261.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2048,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,533.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SUDESHRA DEVI

पता K.54/109 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010236-- Property Id. 1J010089003

Latitude 25.32356466520

Longitude 83.01377337240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/109 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,041.0** व सामान्य कर **1,325.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3280,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,624.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,317.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,317.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,455.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BIRENDRA SINGH S/O HARIHAR SINGH

पता J.1/20 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9415683875

MIS Id. 08010209-- Property Id. 1J010092001

Latitude 25.32386386170

Longitude 83.01364002040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 23,400.0 व सामान्य कर 2,574.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 5100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,556.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,556.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,241.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SITA RAM S/O MAHABIR,LILAVATI DEVI W/O HIRA LAL

पता J.1/21-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010211-- Property Id. 1J010092002

Latitude 25.32386386170

Longitude 83.01364002040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/21-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,513.0** व सामान्य कर **606.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LALLAN PRASAD S/O KANTA PRASAD

पता J.1/21 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010212-- Property Id. 1J010092003

Latitude 25.32386386170

Longitude 83.01364002040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/21 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,112.0 व सामान्य कर 342.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	968.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 864,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,225.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,225.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	575.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MANNAN ABDULDAYAN SULTAN KAJI

पता J.1/36 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010193A Property Id. 1J010097002

Latitude 25.32395856890

Longitude 83.01339882200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/36 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,616.0 व सामान्य कर 618.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	540.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 540	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	41,232.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	41,232.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,536.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEMTULLA S/O SHUKULLA, HAMIDULLA, MOHD. SAHIL MINOR S/O

पता J.1/32 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010169-- Property Id. 1J010099001

Latitude 25.32401378340

Longitude 83.01322159950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,223.0 व सामान्य कर 245.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3600, C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	73,483.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	73,483.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,022.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PREMLATA SRIWASTAV W/O LATE HARISHANKAR ,ASHUTOSH

पता J.1/48 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010046-- Property Id. 1J010102001

Latitude 25.32406339060

Longitude 83.01272761020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,488.0 व सामान्य कर 824.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,016.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2025,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,620.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,247.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,247.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,347.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJ MOHD HANIF HAVIVULLA, HAFIJULLA, SAMIULLA SAFIULLA

पता J.1/74-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010041-- Property Id. 1J010103001

Latitude 25.32416882720

Longitude 83.01273569670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/74-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,365.0 व सामान्य कर 700.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,443.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1736, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,389.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,499.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,499.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,155.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HARUN,AMEENUDEEN,SHARIFUNNISA,KHUSUBUNNISA S/O

पता J.1/75-A-H Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010074-- Property Id. 1J010103002

Latitude 25.32416882720

Longitude 83.01273569670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/75-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,775.0 व सामान्य कर 635.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,443.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2790,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,232.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,874.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,874.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,856.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD KAYYUM MOHD KASIM SS/O HAJI MOHD HUSSAIN OTHERS

पता J.1/39 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010193-- Property Id. 1J010105001

Latitude 25.32414599240

Longitude 83.01285486950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/39 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 19,984.0 व सामान्य कर 2,198.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3400,C= 2000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	97,675.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	97,675.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,651.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURHAMAN,D/O KAMRUDDIN LATE,BILAYAT MATHER NUR W/O

पता J.1/40 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010076-- Property Id. 1J010106001

Latitude 25.32413519780

Longitude 83.01292972440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/40 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,242.0 व सामान्य कर 577.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,078.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 900,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,010.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,010.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,871.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHATUN BIBI, ASMA BIBI, FATMA BIBI S/O D/O ALI ASGAR, BADRUL

पता J.1/79 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010094-- Property Id. 1J010106003

Latitude 25.32413519780

Longitude 83.01292972440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/79 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,483.0 व सामान्य कर 1,153.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,076.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3168, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,534.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,160.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,160.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,108.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ ALI MOHD ARSI, MOHD FAIJI, MOHD BAKSI S/O IMAM ALI
पता J.1/81 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010093-- Property Id. 1J010106004

Latitude 25.32413519780

Longitude 83.01292972440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/81 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,787.0 व सामान्य कर 527.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,076.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,983.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,983.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	878.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HANIF,JOHRA BIBI,VAJDA BIBI S/O DD/O HAJI

पता J.1/80 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010099-- Property Id. 1J010108001

Latitude 25.32433041370

Longitude 83.01304477790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/80 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,390.0 व सामान्य कर 813.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,536.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1980,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,584.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,975.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,975.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,317.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD FARUKH S/O SAFIULLA MAHARUM

पता J.1/87-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010107-- Property Id. 1J010111001

Latitude 25.32447701300

Longitude 83.01285375670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/87-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,696.0** व सामान्य कर **407.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,865.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,988.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,988.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	659.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHADI HASAN S/O ABDUL RAHAMAN

पता J.1/121-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010105-- Property Id. 1J010111002

Latitude 25.32447701300

Longitude 83.01285375670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/121-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	306.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 1150,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,807.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,807.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,179.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Md. Khalil

पता J.1/122 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010103-- Property Id. 1J010113001

Latitude 25.32447773800

Longitude 83.01306105840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/122 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

०.०

व सामान्य कर

०.० से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	578.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,988.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,988.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	659.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD ISLMA ABDUL KALAM ABDUL SALAM MD EHSAN JAINUL ABDIN

पता J.1/85+85-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010102-- Property Id. 1J010114002

Latitude 25.32447499870

Longitude 83.01310911470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/85+85-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,286.0 व सामान्य कर 361.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 918,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	734.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,552.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,552.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	611.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAITUN BIBI W/O FEKU ALIES YAR MOHD ,MOHD DIN,BASIRAN BIBI

पता J.1/124 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010165-- Property Id. 1J010115001

Latitude 25.32448050660

Longitude 83.01327303520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/124 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,499.0** व सामान्य कर **1,265.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,757.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3096,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,477.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,725.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,725.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,060.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUL HASAN,MEHADI HASAN S/O ABDUL SALAM

पता J.1/123 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010167-- Property Id. 1J010115002

Latitude 25.32448050660

Longitude 83.01327303520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/123 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,873.0** व सामान्य कर **316.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,757.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJID ABDUL HAMID S/O MOHD DIN

पता J.1/33-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010188-- Property Id. 1J010120001

Latitude 25.32428720770

Longitude 83.01322110810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/33-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,566.0** व सामान्य कर **722.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	474.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,408.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,644.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,644.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,171.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABU ASIM, ABU KASIM, U/G ABDUL HASIM SANRAKSHAK MUSMMAT

पता J.1/35 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010190-- Property Id. 1J010122001

Latitude 25.32413112290

Longitude 83.01333592700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/35 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,928.0 व सामान्य कर 542.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,576.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1332, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,066.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,056.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,056.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	886.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O KHALILULLAH

पता J.1/33 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010187-- Property Id. 1J010124001

Latitude 25.32428086770

Longitude 83.01335667270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/33 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,376.0 व सामान्य कर 481.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	849.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HASAN S/O HAVIVULLA

पता J.1/126 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010163-- Property Id. 1J010127001

Latitude 25.32440835320

Longitude 83.01357365470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/126 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,739.0 व सामान्य कर 741.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohamad Hassan

पता J.1/29-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010171-- Property Id. 1J010127002

Latitude 25.32440835320

Longitude 83.01357365470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/29-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,928.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	879.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,983.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,983.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	878.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD S/O SALAMTULLA,AJIJUNNISA,JAIHANIISA,AJIMUNNISA DD/O

पता J.1/28 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7905441694

MIS Id. 08010182-- Property Id. 1J010128001

Latitude 25.32435274680

Longitude 83.01357062990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.1/28 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,928.0 व सामान्य कर 542.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,919.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KAYUM, ABDUL KUDDUS, ABDUL SALAM, ABDUL

पता J.1/26 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8299821608

MIS Id. 08010180-- Property Id. 1J010129003

Latitude 25.32419814030

Longitude 83.01355712550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,525.0 व सामान्य कर 828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,006.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2100, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID S/O ABDUL HANIF

पता J.1/30-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010184-- Property Id. 1J010129004

Latitude 25.32419814030

Longitude 83.01355712550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/30-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,592.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,003.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 810,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	648.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,124.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,124.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	674.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHIVNATH S/O SUKHDEV S/O VISHVANATH,MAHADEV

पता J.1/15 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010177-- Property Id. 1J010132001

Latitude 25.32428377310

Longitude 83.01372821070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,778.0 व सामान्य कर 856.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALTI SINGH W/O JAGDISH SINGH

पता J.1/14 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010174-- Property Id. 1J010133001

Latitude 25.32432844570

Longitude 83.01372886850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/14 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,434.0** व सामान्य कर **268.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,862.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,862.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	865.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TRILOCHAN S/O MAHADEV

पता J.1/12 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010162A Property Id. 1J010134002

Latitude 25.32449914350

Longitude 83.01375778400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,392.0 व सामान्य कर 593.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,898.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1476,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,181.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,927.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,927.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	982.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASFA BIBI W/O LATE

पता J.1/130-A+J.1/111 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010161-- Property Id. 1J010135001

Latitude 25.32461857060

Longitude 83.01380725310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/130-A+J.1/111 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,333.0** व सामान्य कर **1,137.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,208.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,692.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,692.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,836.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN, ABDUL JAMIL, ABDUL RASID SS/O HAFIJULLA

पता J.1/130 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010160-- Property Id. 1J010136001

Latitude 25.32470580100

Longitude 83.01381509490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/130 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,648.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2262, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,810.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,681.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,681.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,505.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASMA BIBI W/O MOHD IDRIS, MD JALIL, ANISURHMAN, ABDUL

पता J.1/129-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010153-- Property Id. 1J010137001

Latitude 25.32467844090

Longitude 83.01365995310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/129-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,427.0** व सामान्य कर **1,807.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,416.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4428, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,542.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु०) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	26,781.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,781.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,946.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNU SARDAR S/O RAM SARAN SARDAR

पता J.1/129-D Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010152-- Property Id. 1J010137002

Latitude 25.32467844090

Longitude 83.01365995310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/129-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,525.0 व सामान्य कर 828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,416.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2048,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,386.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,386.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,362.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HARUN S/O MATIULLA

पता J.1/129-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010154-- Property Id. 1J010137003

Latitude 25.32467844090

Longitude 83.01365995310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/129-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,652.0** व सामान्य कर **512.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,416.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1258,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,006.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	837.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Anrulal

पता J.1/29-A-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010159-- Property Id. 1J010140001

Latitude 25.32480680960

Longitude 83.01376296270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/29-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,386.0** व सामान्य कर **592.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,177.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1292,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,034.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,791.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,791.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	967.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANARULLA,NAIMUDDIN,SARFUDDIN SS/O AMINUDDIN,RAHIMA BIBI

पता J.1/129-A-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010156-- Property Id. 1J010142001

Latitude 25.32490636790

Longitude 83.01372408280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/129-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,446.0** व सामान्य कर **489.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,207.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 1260,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,008.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,620.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,620.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	838.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Amidu Nisha

पता J.1/116-1-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010137-- Property Id. 1J010146001

Latitude 25.32511670180

Longitude 83.01314465820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/116-1-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

०.०

व सामान्य कर

०.० से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	731.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,934.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,934.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,863.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AARIF USAMANI,AAVID USAMANI,JIYAUL KAMAR,KEFUL

पता J.1/116 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010136-- Property Id. 1J010147002

Latitude 25.32517984140

Longitude 83.01307184260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/116 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,050.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 552,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	442.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,338.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,338.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	367.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHANUL HASAN S/O MOHD YASIN

पता J.1/116-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010135-- Property Id. 1J010148001

Latitude 25.32521488730

Longitude 83.01300031630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/116-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	676.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,265.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,265.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,349.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ID S/O ABDUL GANI S/O MOHD ISMAIL

पता J.1/115-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010012-- Property Id. 1J010149001

Latitude 25.32522879440

Longitude 83.01295552840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/115-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,286.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	809.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 918,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	734.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,552.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,552.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	611.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN, ABBUL HASAN, MOHD. SHOEB, MEHRUNNISHA, SITARA

पता J.1/115 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010013-- Property Id. 1J010150001

Latitude 25.32519032470

Longitude 83.01287272750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/115 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,618.0** व सामान्य कर **508.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,068.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,757.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,757.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	853.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Hamidulla

पता J.1/144-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010009-- Property Id. 1J010150002

Latitude 25.32519032470

Longitude 83.01287272750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/144-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,451.0** व सामान्य कर **160.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,068.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 408,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	326.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,468.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,468.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	271.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD S/O USMAN GANI

पता J.1/114 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010011-- Property Id. 1J010151001

Latitude 25.32527566150

Longitude 83.01291298810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/114 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,568.0** व सामान्य कर **502.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	624.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,548.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,548.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	830.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IKRAM, ABDUL SALAM, BEDA BIBI S/O D/O HAZI RAMJAN

पता J.1/114-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010010-- Property Id. 1J010152001

Latitude 25.32527880700

Longitude 83.01285382310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/114-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	760.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 624, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	499.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,774.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,774.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	415.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAIBUNISSA JAUJEY MOHAMMAD DIN SAIDUNISSA D/O MOHD DIN

पता J.1/114-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010006-- Property Id. 1J010153001

Latitude 25.32526833970

Longitude 83.01277258580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/114-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,527.0 व सामान्य कर 278.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,162.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLA,SAFIULLA,MOHD DIN S/O HAMIDULLA SRI FAIJUL

पता J.1/114-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010005-- Property Id. 1J010153002

Latitude 25.32526833970

Longitude 83.01277258580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/114-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,162.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN, FAIJUL HASAN SS/O SARDAR HAZI PRAKUL SALAM

पता J.1/113-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7784842915

MIS Id. 08010004-- Property Id. 1J010154001

Latitude 25.32534453580

Longitude 83.01272998430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/113-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,079.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O DYGAR, IDRIS S/O MOHD

पता J.1/113 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010003-- Property Id. 1J010154002

Latitude 25.32534453580

Longitude 83.01272998430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/113 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	320.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,871.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,871.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	426.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTFA,MOHD MURTJA,ISTEYAK AHAMAD,ANSAR AHAMAD

पता J.1/110 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010002-- Property Id. 1J010155001

Latitude 25.32521364360

Longitude 83.01274026250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/110 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,159.0** व सामान्य कर **677.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,255.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1672,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,338.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,112.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,112.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,112.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAVVIR ALI S/O ALI JAFAR

पता J.1/98 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010019-- Property Id. 1J010159001

Latitude 25.32497199170

Longitude 83.01253740540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/98 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,462.0 व सामान्य कर 271.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,603.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,113.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,113.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	452.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMAKANT S/O KISHUN DAS

पता J.1/60-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010052-- Property Id. 1J010162001

Latitude 25.32401699960

Longitude 83.01237683390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/60-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,758.0** व सामान्य कर **743.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,412.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1848,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,478.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,177.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,177.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,229.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUSHILA DEVI W/O BIJAY KUMAR, BIJAY KUMAR S/O KATVARU SETH

पता J.1/60-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010051-- Property Id. 1J010162002

Latitude 25.32401699960

Longitude 83.01237683390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/60-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 17,410.0 व सामान्य कर 1,915.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,412.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4760, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,808.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,788.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,788.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,167.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADAN MOHAN S/O LATE BINDYAVASINI SINHA

पता J.1/54-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7618926738

MIS Id. 08010068-- Property Id. 1J010168001

Latitude 25.32364294490

Longitude 83.01242552540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/54-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,568.0** व सामान्य कर **502.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VISHNU PRASAD S/O LATE MADHO

पता J.1/51 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010071-- Property Id. 1J010169002

Latitude 25.32384715310

Longitude 83.01255221570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/51 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,079.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	891.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 864,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,225.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,225.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	575.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ ALI, MOHD ARSI, MOHD FAIJI, MD VASHI S/O LATE IMAM ALI

पता J.1/72-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010036-- Property Id. 1J010170001

Latitude 25.32444446310

Longitude 83.01265758100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/72-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,224.0** व सामान्य कर **355.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	868.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 868, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	694.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,250.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,250.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	578.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI MOINUDDIN S/O HAJI NOOR MOHD

पता J.1/71 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010035-- Property Id. 1J010171001

Latitude 25.32445730460

Longitude 83.01253576950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/71 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,310.0 व सामान्य कर 474.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	920.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1152,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	922.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	766.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR ALI S/O GULAM RASUL

पता J.1/67 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7375239836

MIS Id. 08010026-- Property Id. 1J010173001

Latitude 25.32458052500

Longitude 83.01260779850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/67 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,917.0** व सामान्य कर **431.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,350.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,350.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,119.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O ABDUL GAFUR KHAN

पता J.1/89 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9580972145

MIS Id. 08010122-- Property Id. 1J010174001

Latitude 25.32462018420

Longitude 83.01265555200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/89 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,352.0 व सामान्य कर 479.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR ALI S/O HAZI GULAM RASUL

पता J.1/68+69-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010027-- Property Id. 1J010174002

Latitude 25.32462018420

Longitude 83.01265555200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/68+69-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,445.0 व सामान्य कर 709.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	620.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,382.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,451.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,451.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,150.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O MAN MAHATO, ASMA BIBI W/O ISHA

पता J.1/91 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010124-- Property Id. 1J010175001

Latitude 25.32476378460

Longitude 83.01266094740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/91 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,254.0** व सामान्य कर **798.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	833.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1950,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,794.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,794.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,297.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YASIN, MOHD IKRAM, ANWAR, MUKTAR, AHAMAD

पता J.1/90 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010123-- Property Id. 1J010176001

Latitude 25.32470980750

Longitude 83.01267272510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/90 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,834.0 व सामान्य कर 532.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	533.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1599, C= 533	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,279.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	43,922.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	43,922.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,831.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIKULLA S/O RAHAMTULLA

पता J.1/96 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7236996032

MIS Id. 08010021-- Property Id. 1J010178001

Latitude 25.32484710200

Longitude 83.01252195630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/96 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,159.0 व सामान्य कर 677.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,319.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,319.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,345.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JALIL AHAMD SS/O MOHD SULEMAN

पता J.1/97 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9026097334

MIS Id. 08010020-- Property Id. 1J010179001

Latitude 25.32489327430

Longitude 83.01252701850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/97 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,481.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,481.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,813.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLA S/O JAN MOHD, JAMAL AKHTAR S/O MOHD. SHARIF

पता J.1/94 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8299372531

MIS Id. 08010023-- Property Id. 1J010181001

Latitude 25.32475109980

Longitude 83.01248491060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/94 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,105.0 व सामान्य कर 452.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMID,ABDUL MAJID,ABDUL AJIJ,FARID SS/O ABDUL

पता J.1/70 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8629329216

MIS Id. 08010030-- Property Id. 1J010182001

Latitude 25.32456314100

Longitude 83.01242809680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/70 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,741.0** व सामान्य कर **192.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZZI ZAHIDA BIBI W/O HAZI NASRULLA, SAHNAZ BANO ALIES

पता J.1/70-1-H Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010031-- Property Id. 1J010184001

Latitude 25.32447039110

Longitude 83.01249051540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/70-1-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,741.0 व सामान्य कर 192.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	589.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,830.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,830.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	311.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD UMAR

पता J.1/65-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010033-- Property Id. 1J010184002

Latitude 25.32447039110

Longitude 83.01249051540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/65-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,310.0** व सामान्य कर **474.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	589.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJ, ABDUL HAFIJ ABDUL RASID, ABDUL HAMID SS/O MOHD

पता J.1/10 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010130-- Property Id. 1J010195001

Latitude 25.32484990710

Longitude 83.01296704560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,095.0** व सामान्य कर **2,100.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,853.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3472, C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,778.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	33,851.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,851.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,724.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN,MATIULLA D/O HAZI NUR MOHD MD YUNUS S/O HAZI

पता J.1/102-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010131-- Property Id. 1J010195002

Latitude 25.32484990710

Longitude 83.01296704560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/102-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,580.0** व सामान्य कर **1,054.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,853.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2604,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,083.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,749.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,749.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,732.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AYUB, MOHD HUSSAIN, MTIULLA, SIDDIKULLA SS/O

पता J.1/118 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8604523466

MIS Id. 08010116-- Property Id. 1J010196001

Latitude 25.32478433250

Longitude 83.01291238350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/118 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,873.0 व सामान्य कर 316.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400, C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	47,023.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	47,023.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,173.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD KAYUM S/O SAMIULLA

पता J.1/117-3 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010120-- Property Id. 1J010197001

Latitude 25.32480346650

Longitude 83.01284829360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/117-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,573.0** व सामान्य कर **173.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	850.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,924.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,924.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,412.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAVIVURHAMAN S/O SAFIULLA

पता J.1/117 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010121-- Property Id. 1J010197002

Latitude 25.32480346650

Longitude 83.01284829360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/117 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,434.0 व सामान्य कर 268.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,088.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 656,C= 432	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	525.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,727.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,727.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,490.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD JAKARIYA, MOHD SOAB SS/O HAZI NUR MOHD

पता J.1/120-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010112-- Property Id. 1J010201001

Latitude 25.32457064030

Longitude 83.01296417810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/120-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,738.0 व सामान्य कर 301.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	252.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 756, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,572.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,572.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	503.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIULLA S/O VALI MOHD, MD.IKBAL S/O HABIBURHMAN, MOHD

पता J.1/87 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010106-- Property Id. 1J010202001

Latitude 25.32448636130

Longitude 83.01276021600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/87 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,769.0** व सामान्य कर **525.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	650.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1300, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,862.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,862.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	865.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Gulam Ali

पता J.1/72-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010037-- Property Id. 1J010205002

Latitude 25.32445302180

Longitude 83.01272496550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/72-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,914.0** व सामान्य कर **211.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	180.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 540,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,266.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,266.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	359.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YUNUS, RAMJAN, VAKIL AHAMAD NABALIK MOHD KHAIL

पता J.1/122 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010166-- Property Id. 1J010207001

Latitude 25.32442950260

Longitude 83.01297383460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/122 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,675.0** व सामान्य कर **184.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 300, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,814.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,814.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	200.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHIM S/O GARIBULLA,SAFIULLA S/O ABDUL RAHIM

पता J.1/86 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010100-- Property Id. 1J010208001

Latitude 25.32440793360

Longitude 83.01307666720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/86 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,462.0 व सामान्य कर 271.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 550,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,178.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,178.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,780.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AINUL HASAN S/O ABDURRAHMAN

पता J.1/127-D-1-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010146B Property Id. 1J010211001

Latitude 25.32481950250

Longitude 83.01310619250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-D-1-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,684.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	957.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 160,C= 160	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,492.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,492.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,264.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAL MANI W/O PARAMSUKHA LAL, OM PRAKAS, BRJ BIHARI, AMBIKA

पता J.1/127-C-7-1+127-C-7 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010149-- Property Id. 1J010212001

Latitude 25.32506240240

Longitude 83.01326885940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127-C-7-1+127-C-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,224.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1224, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	979.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,403.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,403.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	814.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR JAHA W/O SARDAR HAZI, KARIMUDDIN, ALTA FURHAMAN, ABDUL

पता J.1/129-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010158-- Property Id. 1J010218001

Latitude 25.32486561080

Longitude 83.01382865010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/129-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,897.0** व सामान्य कर **979.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,190.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2380, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,904.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,394.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,394.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,583.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASEED ALAI S LALLU ABDUL MATIN AJIJUREHMAN ALAIS

पता J.1/129-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010157-- Property Id. 1J010218002

Latitude 25.32486561080

Longitude 83.01382865010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/129-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,224.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1224,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	979.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,403.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,403.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	814.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL QUDDUS & ABDUL QAYUM SS/O HAJI ABDUL HAFEEZ

पता J.1/13 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010173-- Property Id. 1J010224001

Latitude 25.32441252730

Longitude 83.01374159940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,202.0 व सामान्य कर 462.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Anarulla

पता J.1/29-C-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010172-- Property Id. 1J010225001

Latitude 25.32436869470

Longitude 83.01372763750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/29-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,151.0** व सामान्य कर **787.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	755.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1936,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,549.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,288.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJAUDDIN GULAM MOHAMAMD

पता J.1/16-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010176-- Property Id. 1J010226001

Latitude 25.32423654250

Longitude 83.01372237670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/16-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,376.0** व सामान्य कर **481.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,260.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,016.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,241.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,241.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,677.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI W/O ABDUL MATIN, SAHNAJ PARVIN W/O MABUB HASAN

पता J.1/18 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010179-- Property Id. 1J010227001

Latitude 25.32418846990

Longitude 83.01371850820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,566.0 व सामान्य कर 722.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	953.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHMUDUL HASAN S/O HAZI ABDUL MATIN

पता J.1/16+17 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010202-- Property Id. 1J010228004

Latitude 25.32410233400

Longitude 83.01371678190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/16+17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,850.0 व सामान्य कर 644.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	883.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,165.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,165.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	898.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMANTULLA, NEYATULLA SS/O SUKURULLA

पता J.1/27 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010181-- Property Id. 1J010229001

Latitude 25.32430845070

Longitude 83.01356699180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,499.0** व सामान्य कर **1,265.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	780.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3120, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,496.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,870.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,870.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,076.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LASER SARFUDDIN S/O AMINUDDIN LESI BHOLA NATH S/O RAMJI DAS

पता J.1/127 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010141-- Property Id. 1J010230001

Latitude 25.32425512240

Longitude 83.01356306130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/127 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,383.0 व सामान्य कर 372.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1800,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	49,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	49,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,439.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAVVAR S/O ANWARUL

पता J.1/31-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010185-- Property Id. 1J010231001

Latitude 25.32424163960

Longitude 83.01346094510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/31-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,828.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	850.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1056,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,387.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,387.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	703.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA S/O LATE AMANTULLAH

पता J.1/125 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010164-- Property Id. 1J010235001

Latitude 25.32449377960

Longitude 83.01349671810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/125 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,734.0** व सामान्य कर **1,071.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2625,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,100.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,876.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,876.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,746.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUDDIN S/O HAJI ANVARULLA

पता J.1/123-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010168-- Property Id. 1J010236001

Latitude 25.32439226280

Longitude 83.01325307860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/123-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,616.0 व सामान्य कर 618.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,216.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,193.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,193.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,011.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YUSUF RAMJAN SAKIL SS/O (MINOR) KHALIL, KANIJA BIBI W/O
पता J.1/84 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010090-- Property Id. 1J010238001

Latitude 25.32418701410

Longitude 83.01313817560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/84 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,739.0 व सामान्य कर 741.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,333.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1980, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,584.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,975.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,975.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,317.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSAR AHAMD S/O NEMTULLAH MEHRUNISSA W/O LATE

पता J.1/36-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010197-- Property Id. 1J010239001

Latitude 25.32402716210

Longitude 83.01340671870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/36-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,077.0** व सामान्य कर **338.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD SUAB S/O HAFIJ NUR MOHD

पता J.1/36-A-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010196-- Property Id. 1J010239002

Latitude 25.32402716210

Longitude 83.01340671870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/36-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,844.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	672.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,048.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,048.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	335.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.JAKARIYA S/O NOOR MOHAMMD,HAZI

पता J.1/37 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9839861535

MIS Id. 08010192A Property Id. 1J010241001

Latitude 25.32400173080

Longitude 83.01328517940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/37 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,232.0 व सामान्य कर 1,236.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,196.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3588,C= 1196	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,870.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	98,555.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	98,555.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,783.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YUNUS, RAMJAN ALIAS SAKIL AHMAD SS/0 MINORS

पता J.1/83 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010091-- Property Id. 1J010242001

Latitude 25.32417374230

Longitude 83.01303605710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/83 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,557.0 व सामान्य कर 391.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,581.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 960, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	639.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHAMAN S/O GARIULLA

पता J.1/76 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010096-- Property Id. 1J010244001

Latitude 25.32436747860

Longitude 83.01280737230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/76 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,079.0 व सामान्य कर 339.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,080.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,080.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	559.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDAN

पता J.1/75-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010095-- Property Id. 1J010245001

Latitude 25.32439307770

Longitude 83.01275643930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/75-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	431.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 700,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,086.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,086.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,879.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJULLA S/O JAMIRAN

पता J.1/41 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010077-- Property Id. 1J010250001

Latitude 25.32395557270

Longitude 83.01281690370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/41 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,365.0** व सामान्य कर **700.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARAJU PRASAD S/O LATE BATUK PRASAD

पता J.1/43 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8303524710

MIS Id. 08010081-- Property Id. 1J010251001

Latitude 25.32384992560

Longitude 83.01305122830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/43 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,310.0 व सामान्य कर 474.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HEMLATA JAISWAL W/O UMESH PRASAD JAISWAL

पता J.1/43-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7004438595

MIS Id. 08010082A Property Id. 1J010253001

Latitude 25.32392011620

Longitude 83.01308035440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/43-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,035.0** व सामान्य कर **224.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,497.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHIV PRASAD & GANGA PRASAD & JAMUNA PRASAD & RAHUL

पता J.1/45-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7905778733

MIS Id. 08010084A Property Id. 1J010254001

Latitude 25.32385654520

Longitude 83.01328051890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/45-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,020.0** व सामान्य कर **772.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAURI SHANKAR S/O RAM HARAKH

पता J.1/45-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010083-- Property Id. 1J010254002

Latitude 25.32385654520

Longitude 83.01328051890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/45-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,003.0** व सामान्य कर **880.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,228.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2184,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,747.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,209.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,209.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,453.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADHUBALA DEVI W/O LAL MAN

पता J.1/23-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8787205059

MIS Id. 08010216-- Property Id. 1J010255001

Latitude 25.32382791790

Longitude 83.01348497800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/23-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,702.0** व सामान्य कर **737.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJUNNISA W/O ABDUL AJIJ ANSARI

पता J.1/19 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010207-- Property Id. 1J010259001

Latitude 25.32396458670

Longitude 83.01377116050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/19 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,488.0 व सामान्य कर 824.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHYAMA DEVI W/O PANCHAM VARMA

पता K.54/103-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010228-- Property Id. 1J010263001

Latitude 25.32362944040

Longitude 83.01347828450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/103-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,025.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	322.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 644,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	515.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,382.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,382.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	482.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIRMALA DEVI W/O CHAMAN LAL

पता K.54/103-A-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010227-- Property Id. 1J010263002

Latitude 25.32362944040

Longitude 83.01347828450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/103-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,025.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	322.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 644,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	515.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,382.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,382.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	482.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOLAVI RASHID S/O LATE MOLAVI ABDUL KAYUM

पता K.54/110-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010242A Property Id. 1J010271001

Latitude 25.32346030110

Longitude 83.01382900730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/110-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,144.0** व सामान्य कर **786.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1384,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,107.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,269.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,269.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,450.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VALI MOHD.ISTEYAQ AHMED,IMTIYAZ AHMED,AKBAL AHMED SS/O

पता K.54/110 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010241-- Property Id. 1J010271003

Latitude 25.32346030110

Longitude 83.01382900730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/110 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,105.0** व सामान्य कर **452.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,120.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1120,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	896.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,620.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,620.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	838.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAUF S/O LATE HAZI MOHD.

पता K.54/110-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010244-- Property Id. 1J010273001

Latitude 25.32337002560

Longitude 83.01380250440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/110-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,416.0** व सामान्य कर **376.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	378.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1512,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,210.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,288.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,288.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,132.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MOHD. S/O HAZI MOHD.ISMAIL

पता K.54/110-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010243-- Property Id. 1J010273002

Latitude 25.32337002560

Longitude 83.01380250440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/110-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,234.0** व सामान्य कर **686.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	572.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	NULL	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1716,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,373.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,676.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,676.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,284.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI RAHAMATULLA S/O HAZI SALAMATULLA

पता J.1/140-R Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020102-- Property Id. 1J010280002

Latitude 25.32337501090

Longitude 83.01433394300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/140-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,056.0 व सामान्य कर 1,656.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,368.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4104,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,283.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,821.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,821.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,730.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD NOMAN S/O HAJI YAMIN MARHUM

पता J.1/141-A+141-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020098-- Property Id. 1J010283001

Latitude 25.32338647940

Longitude 83.01412480800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/141-A+141-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,322.0** व सामान्य कर **1,905.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4720,C= 2360	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,776.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,05,179.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,05,179.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	30,777.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AHAMD S/O HAJI MOHD YAMIN
पता J.1/141-C+140-A+140-M Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020097-- Property Id. 1J010283002

Latitude 25.32338647940

Longitude 83.01412480800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/141-C+140-A+140-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,858.0** व सामान्य कर **1,524.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4720,C= 2360	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,776.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,83,769.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,83,769.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	27,565.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT SUDHA SRIVASTWA W/O LATE RAVINDRA SANKAR LAL MOHIT

पता J.1/1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9839089594

MIS Id. 08020095-- Property Id. 1J010290001

Latitude 25.32342269550

Longitude 83.01400475530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AHAMAD S/O ABDUL KAYUM

पता J.1/138-A-K-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020100-- Property Id. 1J010300001

Latitude 25.32352490650

Longitude 83.01434932190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/138-A-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,159.0** व सामान्य कर **677.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,301.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1672,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,338.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,112.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,112.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,112.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RASID AHAMAD, MOHD AHAMAD, MOHD JUBER, MAHABUB

पता J.1/138-A-K-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020101-- Property Id. 1J010300002

Latitude 25.32352490650

Longitude 83.01434932190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/138-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,301.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3016, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,413.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,241.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,241.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,007.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FALIMA BIBI, ABDUL MATIN, ABDUL AJIJ, ABDUL SALAM, S/O D/O

पता J.1/139 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9335688353

MIS Id. 08020099-- Property Id. 1J010304001

Latitude 25.32355029290

Longitude 83.01424458690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/139 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,739.0 व सामान्य कर 741.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800, C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	70,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	70,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,512.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHMAD S/O MAULVI SAMSUL HODA

पता J.1/138-A-B-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7860377304

MIS Id. 08020089A Property Id. 1J010304002

Latitude 25.32355029290

Longitude 83.01424458690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/138-A-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,818.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 272	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,479.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,479.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,923.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAISH AHMAD, NAFIS AHMAD, VASIM AHMAD SS/O RASHID AHMAD,
पता J.1/138 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9696855664

MIS Id. 08020089-- Property Id. 1J010309001

Latitude 25.32366175640

Longitude 83.01423058410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/138 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,050.0 व सामान्य कर 226.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,434.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 717, C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	574.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,335.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,335.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,467.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA S/O HAZI MOHD IDRIS,ALTA FURHMAN, JAHIDA

पता J.1/138-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020091-- Property Id. 1J010309002

Latitude 25.32366175640

Longitude 83.01423058410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/138-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,703.0 व सामान्य कर 297.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,431.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	499.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALDA BIBI W/O MAULVI ABDUL BAKI, MAULVI ABDUL BAKI S/O

पता J.1/138-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020090-- Property Id. 1J010311001

Latitude 25.32367299580

Longitude 83.01434324540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/138-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 14,227.0 व सामान्य कर 1,565.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2300,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,10,300.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,10,300.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	16,545.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SALIM & NASIM AHAMD & SAMIM AHAMD & MOHD HASIM &
पता J.1/137 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8887622793

MIS Id. 08020092-- Property Id. 1J010315001

Latitude 25.32357938210

Longitude 83.01409734120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/137 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,538.0** व सामान्य कर **169.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,852.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,852.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,414.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA S/O HAZI MOHD IDRIS,ALLAURHMAN,JAHDA BIBI

पता J.1/136 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020088-- Property Id. 1J010328001

Latitude 25.32381205360

Longitude 83.01425344050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/136 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	540.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,460.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,460.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	931.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHMAD RIZWAN AHMAD SS/O MAULVI SAMSUL HODA

पता J.1/136-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7860377304

MIS Id. 08020087-- Property Id. 1J010330001

Latitude 25.32381224550

Longitude 83.01433124110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/136-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,593.0** व सामान्य कर **285.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,371.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,371.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	811.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI KRISHNA DHAR

पता J.1/6-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020070-- Property Id. 1J010345001

Latitude 25.32398080100

Longitude 83.01411600360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/6-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,980.0** व सामान्य कर **328.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,445.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 747,C= 705	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	598.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	50,386.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	50,386.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,558.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAHIDA BIBI W/O LATE JAFAR ALI, MOHD. RASHID S/O LATE JAFAR ALI

पता J.1/133-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9335009073

MIS Id. 08020075A Property Id. 1J010354001

Latitude 25.32404494340

Longitude 83.01411566780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/133-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,816.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,722.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,722.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	299.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIR HASAN S/O MAHAMUD HASAN

पता J.1/133-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020074-- Property Id. 1J010354002

Latitude 25.32404494340

Longitude 83.01411566780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/133-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,080.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,816.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,082.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,082.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	449.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAL KISHUN S/O BIHARI

पता J.1/8 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8858901046

MIS Id. 08020068-- Property Id. 1J010361001

Latitude 25.32415397130

Longitude 83.01389922200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,621.0 व सामान्य कर 288.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1700,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,210.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,210.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,343.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DURGA PRASAD S/O LATE RAMDHANI

पता J.1/16-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010178-- Property Id. 1J010361003

Latitude 25.32415397130

Longitude 83.01389922200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/16-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,540.0** व सामान्य कर **169.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,014.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 432,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,613.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,613.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	287.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL MATIN OTHERS

पता J.1/131+132-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9161421747

MIS Id. 08020075B Property Id. 1J010366001

Latitude 25.32415559970

Longitude 83.01406238970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/131+132-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 3600,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	79,607.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	79,607.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,941.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIULLA,USMAN,HAIDAR ALI SS/O HAFIJULLA

पता J.1/133 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020075-- Property Id. 1J010366002

Latitude 25.32415559970

Longitude 83.01406238970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/133 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,367.0** व सामान्य कर **150.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,891.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 384,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	307.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,322.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,322.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	255.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BACHAU LAL S/O GULAB DAS

पता J.1/8-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08020066-- Property Id. 1J010368001

Latitude 25.32424260070

Longitude 83.01389228320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/8-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,696.0** व सामान्य कर **407.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	479.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,082.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,082.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	449.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRABHU NATH S/O LATE RAMNATH

पता J.1/15-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010175-- Property Id. 1J010374001

Latitude 25.32430612220

Longitude 83.01389074900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/15-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,047.0** व सामान्य कर **225.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	977.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,538.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,538.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	389.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN, KUTUBDDIN, SAMSUDDIN SS/O HAZI

पता J.1/10-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8400669494

MIS Id. 08020017-- Property Id. 1J010377001

Latitude 25.32431940440

Longitude 83.01408793670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/10-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,917.0** व सामान्य कर **1,421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3450, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,866.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,866.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,295.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFAR S/O MOHD KHALIL

पता J.1/10-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7905721251

MIS Id. 08020016-- Property Id. 1J010390001

Latitude 25.32446466270

Longitude 83.01392061770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/10-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,233.0** व सामान्य कर **356.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 6	R= 1500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,243.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL QUDDUS & ABDUL QAYUM SS/O HAJI ABDUYL HAFEEZ

पता J.1/111-E-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050194-- Property Id. 1J010274001

Latitude 25.32520163500

Longitude 83.01333776160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 64,069.0 व सामान्य कर 9,610.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 6400,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,41,523.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,41,523.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	21,228.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.JUBAIDA BIBI W/O HAFIJ MOHAMMAD ISMILE

पता J.1/111-D Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050191-- Property Id. 1J010275001

Latitude 25.32523098200

Longitude 83.01324787960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,703.0 व सामान्य कर 517.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4600,C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	99,036.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	99,036.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,855.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Saud Ahemad

पता J.1/172 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050193-- Property Id. 1J010275002

Latitude 25.32523098200

Longitude 83.01324787960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/172 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,015.0** व सामान्य कर **1,762.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,456.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,127.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,127.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,874.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKHLAK AHAMD S/O HAJI MOHD.ESMAIL

पता J.1/111-D-M Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010194A Property Id. 1J010278001

Latitude 25.32528729670

Longitude 83.01327326150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-D-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	952.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,B1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1392,C= 288	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,114.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,031.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,031.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JANTUNNISA W/O ABDUL RASID, ABDUL HAMID, AJIJ ABDUL

पता J.1/111-E Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050195-- Property Id. 1J010281001

Latitude 25.32517693830

Longitude 83.01339604070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,365.0 व सामान्य कर 700.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial Shop, 2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 750, C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	68,796.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	68,796.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,319.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHAMD ALIAS BABLU ANWAR ALI BALIGAN PESRAN

पता J.1/111-B-1-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050189B Property Id. 1J010289001

Latitude 25.32538127170

Longitude 83.01326911220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,B1_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 759,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	607.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,590.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,590.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	505.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMD ANWAR AHAMD JAMIL AHAMAMD

पता J.1/111-B-1-KH Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7905470063

MIS Id. 08050189A Property Id. 1J010289002

Latitude 25.32538127170

Longitude 83.01326911220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-B-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,160.0** व सामान्य कर **788.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1472,C= 736	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,178.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	57,310.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	57,310.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIYAMATULLA,PAKHARE ALAM,JAN MOHD SS/O MADARAN BAKS

पता J.1/111-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050190-- Property Id. 1J010289003

Latitude 25.32538127170

Longitude 83.01326911220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.1/111-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,525.0 व सामान्य कर 828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,718.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,265.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,265.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,349.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULABI DEVI W/O LATE PYAREY LAL & NAKH DU & HARISHCHANDRA

पता J.5/12-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 6391531875

MIS Id. 08050088-- Property Id. 1J010291001

Latitude 25.32544343150

Longitude 83.01345683940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/12-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,106.0 व सामान्य कर 232.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,899.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,899.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	539.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHMAD S/O MOHD.HASAN

पता J.1/111-C-M Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7275005686

MIS Id. 08050188A Property Id. 1J010291002

Latitude 25.32544343150

Longitude 83.01345683940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-C-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,020.0** व सामान्य कर **772.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,383.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 930,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,959.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,959.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	985.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABUL MINOR S/O ABDUL WAHID MARHUM U/G AKHTAR

पता J.1/111-A-1-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050186-- Property Id. 1J010291003

Latitude 25.32544343150

Longitude 83.01345683940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,273.0** व सामान्य कर **140.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,381.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,808.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,788.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,788.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,167.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IFTEKHAR AHAMD RAJI AHAMD EKHLAK AHAMD PESRAN ABUL

पता J.4/1-A-4-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050150-- Property Id. 1J010292001

Latitude 25.32546930460

Longitude 83.01283838790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-A-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,208.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,B1_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	499.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJMAT ALI S/O MOHD AHAMD

पता J.1/111-F Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050192A Property Id. 1J010292002

Latitude 25.32546930460

Longitude 83.01283838790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **22,230.0** व सामान्य कर **2,445.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 500,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,910.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,910.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,950.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HASAN S/O HAJI ABDUL HASAN

पता J.1/111-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050188-- Property Id. 1J010293001

Latitude 25.32542389320

Longitude 83.01353001190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **26,582.0** व सामान्य कर **2,924.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,404.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2008,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,606.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	63,552.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	63,552.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,533.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ABDULLA, ABDUL MATIN, SAUD AHAMAD, AKBAL AHAMAD S/O

पता J.1/111-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050189-- Property Id. 1J010294001

Latitude 25.32547829560

Longitude 83.01337405380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,621.0 व सामान्य कर 948.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2340, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,872.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,152.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,152.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,557.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIZ AJIJUL HASAN S/O MOHD.HASAN

पता J.1/111-C-1-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050187-- Property Id. 1J010294002

Latitude 25.32547829560

Longitude 83.01337405380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-C-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,641.0** व सामान्य कर **401.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,169.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,169.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	679.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O HAJI MATIULLAH

पता J.4/3-A-3 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9305318332

MIS Id. 08050182-- Property Id. 1J010299001

Latitude 25.32556799270

Longitude 83.01340193290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/3-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,931.0 व सामान्य कर 432.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1950,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,361.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,361.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,570.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI NISHAR AHMED VALAMTI ULLA

पता J.4/3-A-K-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050183-- Property Id. 1J010302001

Latitude 25.32555968970

Longitude 83.01352727790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/3-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,800.0** व सामान्य कर **1,408.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	868.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3472,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,778.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,310.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdul Rasif

पता J.1/111-A-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050180-- Property Id. 1J010310001

Latitude 25.32561953000

Longitude 83.01342904060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,019.0 व सामान्य कर 662.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	812.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,299.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,822.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,822.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,080.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLAH S/O AJMAT ALI

पता J.1/111-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050181-- Property Id. 1J010310002

Latitude 25.32561953000

Longitude 83.01342904060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	534.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	352.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,661.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,661.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	293.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RHAMTIN ABDUL MAJID ABDUL RASID BILAY SARAHAMTIN SS/O

पता J.1/111 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9026813861

MIS Id. 08050192-- Property Id. 1J010312001

Latitude 25.32565450120

Longitude 83.01333584360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/111 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,747.0** व सामान्य कर **632.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1400,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,601.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,601.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,476.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD FARUKH S/O LATE MANULLA

पता J.4/3-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9369206738

MIS Id. 08050176A Property Id. 1J010314001

Latitude 25.32566077040

Longitude 83.01362612490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 925,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	740.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,305.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,305.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,464.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O MOHD. ISMILE

पता J.4/1-A-7 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050178-- Property Id. 1J010314002

Latitude 25.32566077040

Longitude 83.01362612490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-A-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	812.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2436,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,949.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,733.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,733.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,621.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Rehamtulla

पता J.4/111-A-1-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050179-- Property Id. 1J010318001

Latitude 25.32571732290

Longitude 83.01339316930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/111-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,193.0** व सामान्य कर **131.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,068.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	256.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	213.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRULLA

पता J.4/1-B-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050176-- Property Id. 1J010320001

Latitude 25.32573859010

Longitude 83.01364491630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,279.0** व सामान्य कर **911.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,844.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2244,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,795.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,572.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,572.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,493.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AZIZ S/O ABDUL ALIM

पता J.4/1-A-4 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9026038058

MIS Id. 08050171-- Property Id. 1J010331001

Latitude 25.32587562880

Longitude 83.01341557770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	416.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,145.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,145.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	346.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम nurul hoda s/o md harun

पता J.4/1-B-H Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7651998995

MIS Id. 08050163A Property Id. 1J010333001

Latitude 25.32583971460

Longitude 83.01367959670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-B-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,054.0 व सामान्य कर 556.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	660.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1580,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,264.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,172.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,172.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,879.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BABLU S/O LATE JINTU, AJAY KUMAR, RAM SARAN, RAJENDRA

पता J.1/112-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9935614681

MIS Id. 08050146-- Property Id. 1J010334001

Latitude 25.32585909470

Longitude 83.01262623450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,956.0** व सामान्य कर **1,205.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	7,755.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2850, C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,165.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,165.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,108.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURRAHMAN,MAHFUJURRAHMAN,MOHD.SHOEB,MATIURRAHMA

पता J.4/1-B-1-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050169-- Property Id. 1J010335001

Latitude 25.32591231350

Longitude 83.01377033490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,226.0** व सामान्य कर **795.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,259.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2448,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,958.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,629.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHTAR AHAMD

पता J.1/112-A-32 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050152-- Property Id. 1J010337001

Latitude 25.32594945780

Longitude 83.01338449450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,717.0** व सामान्य कर **519.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	774.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,983.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,983.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	878.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISHAR AHMED S/O ABDUL HAQUE

पता J.1/112-A-3-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050153-- Property Id. 1J010337002

Latitude 25.32594945780

Longitude 83.01338449450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-3-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,079.0** व सामान्य कर **669.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	774.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1518,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,214.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,181.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,181.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,010.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD YAMIN S/O HAFIJ ABDUL RAHMAN

पता J.1/112-1-KH Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050160-- Property Id. 1J010340001

Latitude 25.32595250440

Longitude 83.01350952710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,462.0 व सामान्य कर 271.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	435.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,113.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,113.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	452.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moinuddin

पता J.1/112-9 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050161-- Property Id. 1J010342001

Latitude 25.32595252600

Longitude 83.01355899330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	353.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	639.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOBIN S/O LATE MD HARUN

पता J.4/1-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050163-- Property Id. 1J010343001

Latitude 25.32593778550

Longitude 83.01365799590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,193.0** व सामान्य कर **461.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,304.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1872,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,498.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,322.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,322.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,245.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Sarfuddin

पता J.1/112-1-C Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050162-- Property Id. 1J010343002

Latitude 25.32593778550

Longitude 83.01365799590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-1-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,462.0** व सामान्य कर **271.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,304.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,246.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,246.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	467.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARULLA,NURULHAQ,SAMSUL HAQ

पता J.1/112-E Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9580730220

MIS Id. 08050151-- Property Id. 1J010344001

Latitude 25.32591940170

Longitude 83.01320261340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,697.0** व सामान्य कर **407.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1980,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,584.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,975.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,975.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,317.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJMUNNISHA W/O ANUL HAQ, IMTIYAJ AHAMAD S/O ANUL HAQ

पता J.1/112-E-E Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8799233232

MIS Id. 08050148B Property Id. 1J010347001

Latitude 25.32600843730

Longitude 83.01320076010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-E-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,761.0 व सामान्य कर 304.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 960, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJ ABDUL SHAKUR S/O MOHD IBRAHIM

पता J.1/112-K- Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050148-- Property Id. 1J010347002

Latitude 25.32600843730

Longitude 83.01320076010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,887.0** व सामान्य कर **1,968.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,620.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4860,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,888.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,393.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,393.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,233.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAULAVI GULAM MUSTFA

पता J.1/112-A-3 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9369888784

MIS Id. 08050154-- Property Id. 1J010349001

Latitude 25.32601565330

Longitude 83.01335560210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,178.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	675.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 825,C= 675	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	660.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	48,366.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	48,366.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,320.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURAHMAN,HABIBURAHMAN,AJUFAR RAHMAN,ALTAFUR

पता J.1/112-1-G Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050159-- Property Id. 1J010350001

Latitude 25.32601885770

Longitude 83.01350838130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,424.0 व सामान्य कर 927.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,B1_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,144.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,144.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,996.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBUNNISA D/O HABIBULLA, JAINUL ABDIN, AMIRUDDIN, MD

पता J.4/1-K-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9044944550

MIS Id. 08050168-- Property Id. 1J010351001

Latitude 25.32600793630

Longitude 83.01383357910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,697.0** व सामान्य कर **407.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBUNNISA W/O LATE SAFIULLA, ALIMA BIBI, BADRUNNISA,

पता J.4/1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050167-- Property Id. 1J010351002

Latitude 25.32600793630

Longitude 83.01383357910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,355.0 व सामान्य कर 1,359.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,122.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3366,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,693.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,358.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,358.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,239.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Samsudin

पता J.4/1-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050165-- Property Id. 1J010352001

Latitude 25.32601887540

Longitude 83.01376675080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,590.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 900,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,010.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,010.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,871.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI MASUDUL HASAN S/O HAJI ABDUL KAYYUM & MOHMD

पता J.1/112-B-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9415223067

MIS Id. 08050148A Property Id. 1J010355001

Latitude 25.32599209160

Longitude 83.01296838450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,865.0** व सामान्य कर **1,745.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 3350,C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,900.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,900.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,289.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALIKUJJAMA S/O USMAN GANI

पता J.4/1-A-3 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9795458274

MIS Id. 08050164-- Property Id. 1J010357001

Latitude 25.32604468230

Longitude 83.01370704470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,928.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1500,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,000.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,000.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,210.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TASALIM ARIF MD.MOHASIN,TABASSUM BANO,RUBANA PARAVIN

पता J.4/1-A-2-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9236765945

MIS Id. 08050157-- Property Id. 1J010358001

Latitude 25.32605633840

Longitude 83.01363880990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.4/1-A-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,851.0** व सामान्य कर **1,084.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1320,C= 440	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	36,257.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	36,257.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,988.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIZWANA PARWEEN W/O HAJI JIYAUDDIN

पता J.1/112-A-2-R Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8303808293

MIS Id. 08050073-- Property Id. 1J010359001

Latitude 25.32612183700

Longitude 83.01355154080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,372.0 व सामान्य कर 1,251.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1825,C= 875	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,460.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	68,645.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	68,645.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,297.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARIF S/O ANARULLA

पता J.1/112-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050147-- Property Id. 1J010362001

Latitude 25.32614795960

Longitude 83.01296897450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,008.0 व सामान्य कर 1,211.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,190.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,144.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,144.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,996.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJJUDDIN S/O HAFIJ ABDUL SAMI MARHUM

पता J.1/112-A-2-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9935544633

MIS Id. 08050156B Property Id. 1J010363001

Latitude 25.32613204620

Longitude 83.01331507120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	920.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,497.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABNAM BANO W/O SARFUDDIN

पता J.1/112-A-2-S Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8840673083

MIS Id. 08050156C Property Id. 1J010365001

Latitude 25.32612987290

Longitude 83.01339594300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,720.0** व सामान्य कर **2,059.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	858.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 3256,C= 814	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	76,923.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	76,923.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,538.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAULVI

पता J.1/112-A-2-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050155-- Property Id. 1J010365002

Latitude 25.32612987290

Longitude 83.01339594300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,224.0** व सामान्य कर **685.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,548.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 1700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,282.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,282.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,131.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YAKUB, MOHD YAKUB S/O SIDDIKULLA

पता J.1/112-A-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050139-- Property Id. 1J010369001

Latitude 25.32614509310

Longitude 83.01317081050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,046.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 418, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	334.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,844.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,844.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	313.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AAMNA BIBI D/O LATE HAFIJ MARGUB HASAN

पता J.1/112-D-1-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8604119087

MIS Id. 08050137A Property Id. 1J010370001

Latitude 25.32622744430

Longitude 83.01291627340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-D-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,012.0** व सामान्य कर **221.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	5,844.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 396,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	317.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,994.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,994.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	329.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YASIN ANSARI, MOHD.AKRAM ANSARI, MOHD.SHADAB ANSARI

पता J.1/112-A-2-D-X Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050074-- Property Id. 1J010373001

Latitude 25.32623721070

Longitude 83.01338169520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-D-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,791.0** व सामान्य कर **417.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,057.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 930, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,328.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,328.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	696.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOTI LAL MAURYA W/O LATE NANHAK RAM MAURYA

पता J.1/112-D-M Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8953519478

MIS Id. 08050143-- Property Id. 1J010378001

Latitude 25.32631312000

Longitude 83.01265523860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-D-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,153.0** व सामान्य कर **567.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Industrial Unit,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1100,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,509.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,509.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,156.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUDDIN S/O LATE HAJI ABDUL JABBAR

पता J.1/112-T-R-2-B Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050076-- Property Id. 1J010383002

Latitude 25.32635372990

Longitude 83.01334691620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-T-R-2-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,353.0 व सामान्य कर 919.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1600,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,948.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,948.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,744.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAKIM ABDUL SALAM ABDUL WASIT PESRAN HAJI HAFI

पता J.1/112-D-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9336917126

MIS Id. 08050147A Property Id. 1J010384002

Latitude 25.32632997790

Longitude 83.01300487360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,582.0 व सामान्य कर 834.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,994.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASIYA BIBI D/O HAFIJ MAHABUB HASAN U/G HAZI MAHABUB HASAN

पता J.1/112-D-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8604119087

MIS Id. 08050137-- Property Id. 1J010385001

Latitude 25.32641113660

Longitude 83.01302705330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	547.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 270,C= 270	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	216.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,391.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,391.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,133.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHANA BIBI JAUJEY YASIN & SHAKILA BIBI JAUJEY KALIMUDDIN

पता J.5/20-H-1-R Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7651901716

MIS Id. 08050135A Property Id. 1J010391001

Latitude 25.32641853800

Longitude 83.01321147440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/20-H-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,B1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 500,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,910.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,910.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,950.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD YUNUS, MOHAMAD EKRAM, MD. YASIN, MD. FARUKH,
पता J.5/20-H-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050135-- Property Id. 1J010391002

Latitude 25.32641853800

Longitude 83.01321147440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/20-H-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,042.0** व सामान्य कर **1,435.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3168, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,534.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,555.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,555.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,371.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTKIMA JAUJEY MOHD YUNUS

पता J.5/20-H-1-M Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8887949869

MIS Id. 08050135B Property Id. 1J010393001

Latitude 25.32642128090

Longitude 83.01310549100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/20-H-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,301.0** व सामान्य कर **803.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	648.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1296,C= 648	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,037.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	49,478.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	49,478.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,443.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANNAPURNA DEVI W/O LATE CHOTEY LAL & KISHAN VERMA S/O

पता J.1/112-A-F-7 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 6387479526

MIS Id. 08050126-- Property Id. 1J010394001

Latitude 25.32647646290

Longitude 83.01261325170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,150.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,B1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1380,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,104.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,346.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,346.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	918.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN ANSARI, SHAMIM AHMAD ANSARI SS/O BADRUDDIN

पता J.1/112-A-F-8 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050142-- Property Id. 1J010394002

Latitude 25.32647646290

Longitude 83.01261325170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,802.0 व सामान्य कर 418.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,036.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 930, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,328.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,328.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	696.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAHIRA BIBI JAUJEY MOHD EKRAM

पता J.5/20-H-1-T Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9307435117

MIS Id. 08050135C Property Id. 1J010395001

Latitude 25.32649509020

Longitude 83.01317789920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/20-H-1-T के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,359.0** व सामान्य कर **259.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	630.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,B1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 100,C= 630	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	80.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	41,089.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	41,089.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,520.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AD.MATIN S/O HAFIJ RAHAMATULLA

पता J.5/20-C-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8808892181

MIS Id. 08050136-- Property Id. 1J010396001

Latitude 25.32649069380

Longitude 83.01300927740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/20-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,079.0** व सामान्य कर **999.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,530.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 4590,C= 1530	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,22,222.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,22,222.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	18,333.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ADBUL RASID,HAZI ABDUL HAMID SS/O ABDUL RAHAMAN S/O

पता J.1/112 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050072-- Property Id. 1J010397001

Latitude 25.32649952070

Longitude 83.01280499970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,752.0** व सामान्य कर **1,403.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,125.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2800,C= 1125	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	91,344.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	91,344.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	13,702.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABUL HASAN S/O LATE HAJI MOHD.NOOR

पता J.1/112-KH Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7355276618

MIS Id. 08050129-- Property Id. 1J010398001

Latitude 25.32650115620

Longitude 83.01288772850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **25,778.0** व सामान्य कर **2,836.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,160.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4184,C= 2016	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,347.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,58,016.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,58,016.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	23,702.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohamad Mustak, Mohamad Ahemad

पता J.5/20-G Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050133-- Property Id. 1J010400001

Latitude 25.32656352730

Longitude 83.01314291350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.5/20-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 904,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	723.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,467.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,467.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	601.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD HARUN S/O SHABAN SARDAR

पता J.1/112-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050132-- Property Id. 1J010401001

Latitude 25.32657657050

Longitude 83.01304192750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,281.0** व सामान्य कर **581.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,B1_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,981.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,981.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	988.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM PRATAP S/O BUDDHU

पता J.1/112-A-F-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9797936198

MIS Id. 08050123-- Property Id. 1J010403001

Latitude 25.32660598810

Longitude 83.01262076350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	468.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 618,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	494.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,738.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,738.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	411.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MURARI LAL S/O BUDDHU

पता J.1/112-A-F-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9616510060

MIS Id. 08050122-- Property Id. 1J010403002

Latitude 25.32660598810

Longitude 83.01262076350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,351.0** व सामान्य कर **699.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	648.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,B1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1296,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,037.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	862.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHEY SHYAM S/O BUDHDHU

पता J.1/112-A-F-3 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8756883606

MIS Id. 08050121-- Property Id. 1J010403003

Latitude 25.32660598810

Longitude 83.01262076350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,174.0** व सामान्य कर **239.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,422.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 5472,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,378.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	37,231.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	37,231.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,095.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Aafiz Abdul Sakur

पता J.1/112-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 7309074216

MIS Id. 08050130-- Property Id. 1J010407001

Latitude 25.32660089420

Longitude 83.01297725010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,953.0** व सामान्य कर **215.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	42,638.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	42,638.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,690.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASHID, ABDUL MATIN, AJIJURHMAN, VAKIL AHAMAD S/O

पता J.1/112-A-1-K-1 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9044730789

MIS Id. 08050127-- Property Id. 1J010409001

Latitude 25.32660366470

Longitude 83.01280805840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-1-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,523.0** व सामान्य कर **2,698.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2970, C= 990	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,376.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	81,580.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	81,580.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,237.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARFUDDIN NIJAMUDDIN EKBAL AHAMD ANSAR AHAMD ANWAR

पता J.1/112-A-F-K Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050128-- Property Id. 1J010412001

Latitude 25.32659364550

Longitude 83.01272395230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,100.0** व सामान्य कर **561.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	77,112.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	77,112.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,567.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI HAFIJ ABDUL SARUR S/O MOHD IBRAHIM

पता J.1/112-A-F-1-Y Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050132A Property Id. 1J010415001

Latitude 25.32672393370

Longitude 83.01289615260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-1-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,636.0 व सामान्य कर 1,390.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 2700	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,73,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,73,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	26,025.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.BASHIR,KHUSHBUNNISHA,VAJBUNNISHA,AJMUNNISHA,MAIM

पता J.1/112-A- Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9235605189

MIS Id. 08050109A Property Id. 1J010417001

Latitude 25.32677810530

Longitude 83.01289438880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,744.0 व सामान्य कर 412.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	510.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 510,C= 510	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	408.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,857.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,857.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,944.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ROSHAN LAL S/O LATE NANHAK

पता J.1/112-D Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 9044767456

MIS Id. 08050118-- Property Id. 1J010419001

Latitude 25.32674300990

Longitude 83.01301426610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,556.0** व सामान्य कर **1,381.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,070.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3090,C= 2070	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,472.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,51,706.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,51,706.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	22,756.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJA RAM S/O BUDDHU

पता J.1/112-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050109-- Property Id. 1J010423001

Latitude 25.32688216810

Longitude 83.01267268330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,184.0** व सामान्य कर **1,120.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,B1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,934.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,934.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,863.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT RAJKUMARI DEVI W/O PANNA LAL JAISWAL SMT GEETANJALI

पता J.1/112-A-F-4 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050111-- Property Id. 1J010423002

Latitude 25.32688216810

Longitude 83.01267268330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-F-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,742.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,532.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,532.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	719.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUDAMA DEVI W/O RAJA RAM

पता K.54/25-D Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010061-- Property Id. 1J010276001

Latitude 25.32351773530

Longitude 83.01229820700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/25-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,237.0** व सामान्य कर **906.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1100,C= 1100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	77,339.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	77,339.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,601.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNI DEVI W/O SOTI LAL SETH

पता K.54/25-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 02540030-- Property Id. 1J010279001

Latitude 25.32349816760

Longitude 83.01255901150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/25-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,372.0** व सामान्य कर **1,581.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AYUB

पता K.48/57 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं० 8090958561

MIS Id. 02480145-- Property Id. 1J010282001

Latitude 25.32347454150

Longitude 83.01238900130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.48/57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,560.0** व सामान्य कर **832.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	680.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2040,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,632.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,338.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,338.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,357.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRAHLAD TIWARI S/O LATE PURUSHOTTAM TIWARI

पता K.54/25-B-P Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010063D Property Id. 1J010285003

Latitude 25.32346841580

Longitude 83.01246762980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/25-B-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,386.0** व सामान्य कर **592.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	770.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,464.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,628.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,628.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,049.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRADEEP TIWARI S/O LATE PURUSHOTTAM TIWARI

पता K.54/25-B-P-F Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010063C Property Id. 1J010285005

Latitude 25.32346841580

Longitude 83.01246762980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/25-B-P-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,026.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	391.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 391,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	313.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,365.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,365.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	260.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VIJAY KUMAR YADAV S/O GANESHU SARDAR

पता K.54/25-B-V Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010063B Property Id. 1J010287001

Latitude 25.32350353410

Longitude 83.01250774330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या K.54/25-B-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,052.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	680.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,113.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,113.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	452.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PAKKA KUA INCHARJ SHIV KUMAR LAL

पता J.1/52 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010072A Property Id. 1J010066003

Latitude 25.32393829360

Longitude 83.01269277300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/52 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,986.0 व सामान्य कर 988.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	84,370.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	84,370.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,656.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMNATH S/O VISHWANATH

पता J.1/15-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010174A Property Id. 1J010132002

Latitude 25.32428377310

Longitude 83.01372821070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/15-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **36,855.0** व सामान्य कर **4,054.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,125.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2775,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,220.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,04,215.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,04,215.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,632.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JULFEKAR ALI SADIK ALI KAJIM ALI MUSTAK ALIJAHIRUNISSA BIBI

पता J.1/121-A Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08010105B Property Id. 1J010243002

Latitude 25.32435609060

Longitude 83.01293523250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/121-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AINUL SARFUDDIN JAMALUDDIN

पता J.1/112-A-2 Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050156A Property Id. 1J010359002

Latitude 25.32612183700

Longitude 83.01355154080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,109.0** व सामान्य कर **1,112.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	68,720.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	68,720.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,308.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIRUDDIN S/O HAJI ABDUL MATIN

पता J.1/112-A-2-D Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050073A Property Id. 1J010373002

Latitude 25.32623721070

Longitude 83.01338169520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 450,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	57,834.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	57,834.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,675.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TASLIM ARIF MOHSIN TABASSUM BANO RUBANA BANO U/G PESRAN

पता J.1/112-A-2-D-Y Sheshman Bazar

नया वार्ड W099 Bandhu Kachhibhag

पुराना वार्ड W075

मोबाईल नं०

MIS Id. 08050074A Property Id. 1J010392002

Latitude 25.32642053900

Longitude 83.01314360000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.1/112-A-2-D-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,510.0** व सामान्य कर **386.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 1360	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	87,394.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	87,394.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	13,109.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय